

संख्या-782/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19/06/2023

विषय:- प्रदेश की समस्त तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर 450 AWS एवं 2000 ARG स्थापित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4072/रा० आ० का०/2022-23, दिनांक-29.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की समस्त तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर 450 AWS एवं 2000 ARG स्थापित किये जाने हेतु बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2-- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक- 17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश की समस्त तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर 450 AWS एवं 2000 ARG स्थापित किये जाने हेतु रु० 1,42,16,38,000/- की धनराशि आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में प्रथमतः 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रु० 71,08,19,000/- (रुपये इकहत्तर करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष-2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र० के नियर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I, दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया

जायेगा।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेंडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 71,08,19,000/- (रुपये इकहतर करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग

Date: 19-06-2023 17:05:55

(सुधीर गर्ग) Approved

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-782(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र०।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-22/06/2023

प्रेषण संख्या:- 782
आवंटन आदेश संख्या:- 001-782
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरी0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रणामी	710819000 710819000	710819000 710819000
	योग	वर्तमान प्रणामी	710819000 710819000	710819000 710819000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इकतर करोड़ आठ लाख उनीस हजार
महायोग- (प्रणामी आवंटन):- रूपया इकतर करोड़ आठ लाख उनीस हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी